UPMO010065942026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी– सै0 माऊज़ बिन आसिम, (एच 0 जे0 एस 0)

J.O. Code – UP 1895

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1886/2026

1. इन्द्रपाल पुत्र हरगू,
2. बब्लू पुत्र हरगू,
3. संजय पुत्र हरगू,

निवासीगण–मौहल्ला बिलारी, थाना बिलारी, जिला मुरादाबाद।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक), मुरादाबाद।

.....अभियोजन।

मुकदमा अपराध संख्या–292/2021,
धारा–379, 506 भा0 दं0 संहिता।
थाना–बिलारी, जिला–मुरादाबाद।

17.06.2026

1– अग्रिम जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उपस्थित।

2– प्रार्थी/अभियुक्तगण इन्द्रपाल, बब्लू व संजय की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–292/2021, धारा–379, 506 भा0 दं0 संहिता, थाना बिलारी, जिला मुरादाबाद के संबंध में अग्रिम जमानत हेतु यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3– सुना गया एवं उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

4– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, वादिनी मुकदमा श्रीमती किरन गुप्ता की ओर से पुलिस महानिदेशक, गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय का

Digitally signed by SYED MAOOZ BIN ASIM
Date: 2026.06.17 19:17:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थना पत्र दिया गया कि, प्रार्थिनी ने मौहल्ला बाजार शाहबाद रोड, कस्बा बिलारी में गाटा सं0 784 रकबा 0.073 है0 में बैनामा दिनांक 07.07.2008 के द्वारा 663.94 वर्ग मीटर का कराया था, जिसका मानचित्र भी स्वीकृत है। प्रार्थिनी का आधा मकान बन चुका है, परन्तु शेष मकान का निर्माण कराने के लिए अपना निर्माण सामग्री डालते हैं, तभी बिलारी नगर के इन्द्रपाल, बब्लू व संजय पुत्रगण हरयू व महेश पुत्र छिन्नू वाल्मीकी सामग्री उठाकर ले जाते हैं तथा एस०सी० एक्ट की रिपोर्ट प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पति के खिलाफ लिखवाने की धमकी देते हैं। उक्त लोग अपने साथ अन्य लोगों को लेकर प्रार्थिनी के कार्य में बाधा डालते है, जिसकी शिकायत प्रार्थिनी ने कई बार थाना हाजा व उपजिलाधिकारी, बिलारी को लिखित में कर चुकी, लेकिन प्रशासन प्रार्थिनी की कोई मदद करने को तैयार नहीं है। उक्त प्लॉट पर प्रार्थिनी का शेष मकान बनाने में रुकावट डालने वाले भू–माफियाओं व बदमाशों को रोका जाना आवश्यक है। वादिनी मुकदमा के उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण इन्द्रपाल, बब्लू, संजय व महेश के विरूद्ध उक्त मुकदमा धारा–379, 506 भा0 दं0 संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया।

5– प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किये गए हैं कि, प्रार्थीगण को झूठा फंसाया गया है, प्रार्थीगण निर्दोष हैं, वादिनी मुकदमा किरन गुप्ता द्वारा गाटा संख्या–784 रकबा 0.073 हे० के संबंध में थाना बिलारी पर एफ.आई.आर. पंजीकृत करायी गयी थी, जिसमें प्रार्थीगण द्वारा वादिनी को उसकी भूमि पर निर्माण करने से रोकने तथा निर्माण सामग्री को उठाकर ले जाने का आरोप लगाया है, वादिनी मुकदमा द्वारा एफ.आई.आर. में सही बात छिपा ली गयी तथा प्रार्थीगण पर अनुचित दवाब बनाने के उद्देश्य से यह मुकदमा दर्ज कराया गया है, वादिनी मुकदमा द्वारा जो भूमि गाटा संख्या–784 रकबा 0.073 हे० बजरिये बैनामा खरीदी गयी है, वह वाल्मीकी समाज की शमशान घाट तथा तालाब भूमि है, उक्त भूमि राजस्व कागजात में भी श्मशान भूमि एवं तालाब भूमि के रूप में दर्ज है। वादिनी मुकदमा अपने फर्जी बैनामे के आधार पर प्रार्थीगण के समाज के शमशान घाट की भूमि पर अवैध कब्जा करके अपना मकान एवं दुकानें बनाना चाहती है, वादिनी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में न तो घटना का समय बताया गया है, न ही तारीख या महीना बताया है, प्रार्थीगण ने कभी भी वादिनी मुकदमा एवं उसके पति को जान से मारने की धमकी नहीं दी है,

प्रार्थिगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गई है।

6– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

7- आवेदकगण की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था Satender Kumar Antil vs Central Bureau of Investigation & anr. special leave to appeal (crl.) no 5191/2021 निर्णीत दिनांक 07.10.2021 संदिर्भत की गयी है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि, आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के उपरांत भी सात वर्ष या उससे कम के कारावास से दण्डनीय मामलों में ऐसे अभियुक्तगण, जिन्हें दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है, उन्हें सशर्त जमानत प्रदान की जा सकती है।

8– इसके अतिरिक्त सुशीला अग्रवाल बनाम स्टेट (एन.सी.टी. ऑफ देहली) एवं अन्य, ए.आई.आर. ऑनलाइन 2020 एस.सी. पृष्ठ 74 में माननीय न्यायालय द्वारा यह मत अभिव्यक्त किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण की भूमिका, आरोप, आरोपित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता, आवेदक के पूर्व कृत्य विशेषकर पूर्व में दोषिसिद्ध आदि, आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने की सम्भावना, आवेदक द्वारा पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना, आरोप आवेदक को नुकसान पहुॅचाने की नियत से लगाये जाने, अग्रिम जमानत स्वीकार करने से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, आवेदक को धारा–34 व धारा–149 भा0दं0 संहिता की सहायता से आरोपित करने की परिस्थिति, आवेदक को स्वतंत्र विचारण से प्रीज्युडिस होने और उसके निरूद्ध रहने से उसकी प्रताड़ना होने, आवेदक की अभिरक्षा अनुचित होने, आवेदक द्वारा साक्षियों को तोड़ने–मोड़ने और वादी को धमकी देने की परिस्थिति आदि तथ्यों पर विचारण करना चाहिए।

9– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्तों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि, तहरीर में प्रार्थी/अभियुक्तगण पर वादिनी मुकदमा के निमार्णाधीन मकान से निर्माण सामग्री चोरी करने व उसे जान से मारने की धमकी देने आदि के अभियोग हैं। आरोपित अपराध सात वर्ष व उससे कम के दण्ड से दण्डनीय हैं। दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण पर दौरान

विवेचना विवेचक ने दं0 प्र 0 संहिता की धारा–41(क) के नोटिस की तामील करायी है, जिसके उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा विवेचना में सहयोग किया गया है। मामले में बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. अतएव मामले के समस्त तथ्य व परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की उक्त विधि–व्यवस्थाओं के आलोक में न्यायालय इस मत की है कि, प्रार्थी/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण का अग्रिम प्रार्थना पत्र निम्न शर्तो के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्तगण इन्द्रपाल, बब्लू व संजय द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र, मुकदमा अपराध संख्या–292/2021, धारा–379, 506 भा0 दं0 संहिता, थाना बिलारी, जिला मुरादाबाद, स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक को मुबलिग 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपए) का स्वबंधनामा तथा समान राशि की एक–एक प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर, निम्न शर्तो के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

(i)– आरोप की सुनवाई तक वे प्रत्येक नियत दिनांक पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

(ii)– दौरान विचारण साक्षीगण के उपस्थित आने पर वह किसी प्रकार का स्थगन प्रस्तुत नहीं करेंगे तथा दौरान वाद निवास स्थान को परिवर्तित करने की दशा में न्यायालय को सूचित करेंगे।

(iii)– न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

उपरोक्त में से किसी शर्त के उल्लंघन होने पर प्रार्थी/अभियुक्तगण को प्रदत्त अग्रिम जमानत पर पुनर्विचार किया जा सकेगा।

स्टेनो–राजीव कुमार।

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
सत्र न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
17–06–2026